न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 91/2011 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. अस्सू पुत्र मोती,
2. सफेदा पुत्र मोती,
3. जस्सू पुत्र मोती,
4. समसू पुत्र मोती,
5. कालू पुत्र मोती,
6. रूस्तम पुत्र मोती जाति मेवान निवासी जोडियाबास तहसील व जिला अलवर वारिसान जायदाद मोती पुत्र घम्मन जाति मेव ।

..... अपीलांटान

बनाम

1. बैजनाथ पुत्र श्यामलाल जाति ब्राह्मण निवासी मथुराजी तहसील गोवर्धन यू.पी. ।
2. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश अलवर ।

..... रेस्पोडेन्टान

उपस्थित :–
1. श्री प्रभूसिंह चौधरी अभिभाषक अपीलांट ।
2. रेस्पो0 सं0 1 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये ।
3. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–12.01.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 05.07.2011 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद इस्तकरारहक इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 साबिक 83 रकबा 33 बीघा 19 बिस्वा हाल नम्बर 557 रकबा 24 ऐयर, 558 रकबा 90 ऐयर, 559 रकबा 1 ऐयर, 560 रकबा 30 ऐयर, 561 रकबा 30 ऐयर, 562 रकबा 63 ऐयर, 568 रकबा 63 ऐयर, 569 रकबा 64 ऐयर, 570 रकबा 1.10 है0, 571 रकबा 1 ऐयर, 572 रकबा 10 है0, 573 रकबा 18 ऐयर, 574 रकबा 40 ऐयर, 627 रकबा 6 ऐयर, 629 रकबा 40 ऐयर, 630 रकबा 45 ऐयर, 631

12/1/18

रकबा 46 ऐयर, 632 रकबा 22 ऐयर, 633 रकबा 15 ऐयर, 634 रकबा 9 ऐयर, 635 रकबा 9 ऐयर, 636 रकबा 28 ऐयर वाके ग्राम बहादुर पट्टी जोडिया तहसील अलवर में स्थित है जो आराजी वादीगण के हकूक कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है । वादीगण ने सहायक जिलाधीश अलवर के यहां दावा दायर किया जो दावा दिनांक 16.9.72 को डिक्री किया जाकर व उक्त डिक्री की पालना में कागजात माल में हम वादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर इन्तकाल भी दर्ज हो चुका है व कागजात माल में अमल आ चुका है जो आराजी इस वाद में विवादित है । आराजी साबिक ख0 नं0 39 रकबा 10 बिस्वा हाल 541/1048 रकबा 12 ऐयर, साबिक ख0 नं0 84 रकबा 5 बिस्वा के हाल 575 रकबा 6 ऐयर, साबिक ख0 नं0 85 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा हाल ख0 नं0 576 रकबा 48 ऐयर, 577 रकबा 47 ऐयर, साबिक ख0 नं0 87 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा हाल 582 रकबा 74 ऐयर, साबिक 89 रकबा 11 बीघा हाल 616 रकबा 20 ऐयर, 618 रकबा 20 ऐयर 619 रकबा 40 ऐयर, 620 रकबा 10 ऐयर, 621 रकबा 10 ऐयर, 622 रकबा 1.16 है0, 623 रकबा 11 ऐयर, 624 रकबा 10 ऐयर, 625 रकबा 13 ऐयर, 626 रकबा 38 ऐयर, 628 रकबा 20 ऐयर, साबिक 89/387 रकबा 1 बीघा हाल 808 रकबा 5 ऐयर, 510 रकबा 20 ऐयर वादीगण के हकूक कब्जे काश्त आराजी है जिस आराजी पर वादीगण के पिता का कब्जा अर्सा दराज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व व उसके बाद नेकनियति से काबिज दाखिल चले आ रहे हैं । कागजात माल में वादीगण के पिता उक्त आराजी के बाबत खातेदार दर्ज कर रखा है । वादीगण के पिता का स्वर्गवास हो चुका है । हम वादीगण उसके सुलबी वारिसान है जो नेकनियति से काबिज चले आ रहे हैं । प्रतिवादी का आराजी से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है तथा ना ही कभी था । उसके कागजात माल में अपना नाम बैजा मेल व रसुक मिलाकर गलत तरीके से अपना नाम राजस्व रेकार्ड में करा लिया जबकि बन्दोबस्त से पूरे इन्द्राज को रिपीट करना चाहिए था । बन्दोबस्त सम्वत् 2051 में वादीगण को खातेदारी की आराजी जो डिक्री से प्राप्त हुई थी उस पर गैर खातेदार दर्ज कर प्रतिवादी का नाम गलत तरीके से दर्ज कर दिया । प्रतिवादी का उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं है । कागजात माल में उसके नाम का गलत इन्द्राज किया हुआ है जिसके कारण प्रतिवादी विवादित आराजी को रहन, बय, हिबा द्वारा मुन्तकिल करने पर उतारू है तथा काश्तकारी में भी रूकावट व मजाहमत पैदा करता है । इसलिए प्रतिवादीगण को पाबन्द करने का निवेदन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया लेकिन प्रतिवादी सं0 1 बावजूद अखबार साया से तलबी उपरान्त भी उपस्थित नहीं आये । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 पैरोकार सरकार की बहस सुनकर तनकीयात कायम करते हुए वादी का वाद दिनांक 05.07.2011 को खारिज कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 05.07.2011 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया लेकिन रेस्पो0 सं0 1 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि हमने तहत न्यायालय में घोषणा का दावा किया था, उसमें ये प्रार्थना की थी कि यह आराजी हमारे कब्जे

काश्त व खातेदारी में दर्ज थी जिसे सम्वत् 2044 में बिना किसी आदेश के, बिना हमें सूचित किये हमें खातेदार से गैर खातेदार दर्ज कर दिया और प्रतिवादी सं0 1 को बतौर माफीदार दर्ज कर दिया । बन्दोबस्त ने सम्वत् 2051 में 2044 के परिवर्तन के आधार पर रेकार्ड दर्ज कर दिया । हमें गैर खातेदार दर्ज कर दिया और प्रतिवादी सं0 1 को जो माफीदार है उसे खातेदार दर्ज कर दिया जबकि यह खातेदारी की आराजी है । यह जोहड़, नाला आदि की आराजी नहीं है । उन्होंने बहस में आगे कहा कि सन् 1972 में हमारी ओर से सहायक जिलाधीश अलवर के यहां दावा किया जो दावा दिनांक 16.9.1972 को डिक्री किया हुआ है तथा इन्तकाल सं0 85 दर्ज हुआ । माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने भी हमें खातेदार दर्ज किया है । तहत न्यायालय में हमें उक्त सभी दस्तावेज पेश किये थे । तहत न्यायालय ने प्रतिवादी सं0 1 की जरिये अखबार तामील करवायी जिसके बावजूद भी रेस्पो0 सं0 1 अनुपस्थित रहा है तथा पैरोकार सरकार उपस्थित हुए । हमने तहत न्यायालय में साक्ष्य व रेकार्ड पेश किया है जिसमें हम काबिज है तथा हम तो 2012 में ही खातेदार हो गये । तहत न्यायालय के निर्णय में तनकी नं0 1 का निर्णय में कहा कि रेकार्ड पेश नही किया तथा तहत न्यायालय सहायक जिलाधीश के न्यायालय के निर्णय को भी नहीं माना है जबकि हमने अपील के साथ साबिक रेकार्ड पेश किया है । शुरू से हम आराजी पर काबिज है तथा रेकार्ड अनुसार खातेदारी मिलनी चाहिए । दि0 31.12.69 को रेकार्डेड टिनेन्ट था वह खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी हो गया । माफीदार का जो नाम जोड़ा है, वह गलत है । यह किसी मन्दिर की आराजी नहीं है । सन् 1952 का रिजेम्पशन ऑफ जागीर एक्ट लागू होने पर हम काश्त में थे तथा धारा 9 व 10 के अनुसार हम खातेदार है ।

उन्होंने बहस जारी रखते हुए मुख्य कथन किया कि साबिक रेकार्ड के अनुसार उन्हें नहीं सुना गया तथा अपील में उनके द्वारा साबिक रेकार्ड पेश किया जा चुका है ।

बहस में आगे कहा कि सरकार की ओर से कोई ऐसा रेकार्ड, निर्णय पेश नहीं किया है जिससे माफी की जमीन रही हो । तहत न्यायालय ने 2044 का रेकार्ड क्यों बदला, इसका कोई आर्डर नहीं है । सरकार का रेकार्ड नहीं है, हमें नहीं सुना गया । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है और हमारी अपील स्वीकार करने का निवेदन किया । उन्होंने अपने समर्थन में आर.आर.डी. 1992 पेज 114, आर.आर.डी. 1991 पेज 6, आर.आर.डी. 2017 पेज 364, डी.एन.जे. 2015 पेज 1074 प्रस्तुत की ।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने प्रतिउत्तर बहस में बताया कि जागीर उन्मूलन एक्ट के समय का रेकार्ड पेश नहीं किया है । यह जमीन किसी माफी की थी, मन्दिर की थी या पुजारी की थी वह रेकार्ड पेश नहीं किया है । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री सही है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य तर्क यही रहा है कि साबिक रेकार्ड के अनुसार उन्हें तहत न्यायालय द्वारा नहीं सुना गया जबकि अपील में उनके द्वारा साबिक रेकार्ड पेश किया गया है ।

हमने तहत अदालत के निर्णय का तथा पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट का मुख्य कथन यही है कि उन्हें साबिक रेकार्ड के अनुसार तहत न्यायालय ने नहीं सुना

जबकि साबिक रेकार्ड अपील के साथ प्रस्तुत किया गया है । तहत न्यायालय को चाहिए था कि अपीलांट को साबिक रेकार्ड प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए दोनों पक्षों की साक्ष्य लेकर ही निर्णय पारित करना चाहिए था किन्तु तहत न्यायालय ने ऐसा नहीं किया है । इसलिए अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार योग्य है और तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है तथा प्रकरण तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज है ।

अतः अपील अपीलांट आशिंक स्वीकार की जाती है । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर का निर्णय व डिक्री दि0 05.7.2011 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट को साबिक रेकार्ड पेश करने का अवसर देते हुए पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

दोनों पक्षकारान को हिदायत दी जाती है कि वे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर के न्यायालय में दि0 14.02.2018 को उपस्थित हो ।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12.1.18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर